नियमावली

1. सोसाइटी का नाम – फणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय एलुमिनी एसोसिएशन फिंगेश्वर होगा।
2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय – फणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय राजिम रोड फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र फिंगेश्वर होगा।

4. **सोसाइटी का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:–**
   १. एलुमनी कमेटी शुद्ध रूप से एक गैर–राजनीतिक संगठन के रूप में तथा महाविद्यालय के रचनात्मक विकास हेतु कार्य करेगी।
   २. महाविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्व छात्रों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना।
   ३. एलुमिनी एसोसिएशन संरक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य पदेन होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य संरक्षक को एलुमनी मीट सभा मनोनीत करेगी।
   ४. एक सौहार्द पूर्व प्रोत्साहन एलुमनी के द्वारा संस्था एवं उसके भूतपुर्व छात्रों के बीच एक आजीवन संबंध स्थापित करने हेतु समर्पित हैं,यह एसोसिएशन इंस्टिट्यूट के उद्देश्य कि पूर्ति में सहायक हैं। यह एसोसिएशन पुनः मिलन एवं परामर्श के मौके प्रायोजित करती हैं।
   ५. लीडरशिप और विभाग के साथ सहयोग पूर्ण तरीके से कार्य करते हुए संस्था के लक्ष्य एवं दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
   ६. संस्था के प्रतिलिपि के रूप में वृहद क्षेत्र में कार्य करना।
   ७. इंस्टीट्यूट के वर्तमान छात्रों के परामर्श, कैरियर गाइडेंस, प्लेसमेंट एवं इंटरशिप एवं गेस्ट लेक्चर के मौके प्रदान करना।
   ८. व्यावसायिक विकास के कार्य के तौर पर आजीवन सीखना एवं निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देना हैं।
   ९. पूर्व छात्रों का सामाजिक दायरा बढ़ाना।
   १०. छात्रों को अपने संस्था के प्रति उत्तरदायी बनाना।

5. **सदस्यता** – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–
   - **संरक्षक सदस्य** :– एलुमनी एसोशिएशन के संरक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य पदेन होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य संरक्षक को एलुमनी मीट सभा मनोनीत करेगी।
   - **आजीवन सदस्य** :– संस्था में कोई भी आजीवन सदस्य नहीं होगा। सदस्यों की योग्यता प्रत्येक वर्ष निश्चित की जावेगी।
   - **साधारण सदस्य** :– जो व्यक्ति 200 रू. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदे दिया हैं जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पनः बनाया जा सकता हैं।

- **सम्मानीय सदस्य** :– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग लें सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होंगा।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक रखते हों लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐस आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यो की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं :–
   1. भारतीय नागरिक हों।
   2. आयु 18 वर्ष से कम न हों।
   3. समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हों।
   4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हों।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति से समाप्त हो जावेगी :–
   1. चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर।
   2. समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर।
   3. संस्था को देख चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
   4. त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर।
   5. कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

9. **सदस्यता पंजी** :– संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगें –
   1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय।
   2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हों व रसीद नं.।
   3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हों।
   4. सदस्यों के हस्ताक्षर।

10. साधारण सभा :–

- साधारण सभा :– के नियम 5 (बिन्दु) में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह अप्रैल तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकरियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक का अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

- प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगीं। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर एसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगीं।

- विशेष :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिएए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–

- संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- बजट का अनुमोदन करना।

12. <u>प्रबंधकारिणी का गठन</u> :– नियम 5 (बिन्दु) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) कोषाध्यक्ष, (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2

13. <u>प्रबंध समिति का कार्यकाल</u> :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर एस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. <u>प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य</u> :–

- जिल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ हैं उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
- समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।
- संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी।
- संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।
- विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. <u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u> :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :–

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।
2. समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने र उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 3000/– व्यय करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं भी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000/– रू. रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेख मय–नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

23. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा, विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी, उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **सम्पत्ति** :– संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा, या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुक्ल संस्था द्वारा जाम की जावेगी।

25. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट–ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जाम करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठकन बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार का होगा।